बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं0–12 / वि0–163 / 2025– 1612 पटना, दिनांक– 22.10.25

विषयः–मेसर्स Enure Infra Services Pvt. Ltd. At-B & 203, Sundram Vatila, Rupuspur, Baily Road, Patna, Pin- 801503 (सूचीबद्धता सं0–260920230349) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत दूधपनिया ग्राम में रहस्यमयी बीमारी से संबंधित इण्डिया टूडे एवं aajtak.in में प्रकाशित रिर्पोट के क्रम क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा किये गये जांच तदक्रम में एजेन्सी स्तर से बरती गई लापरवाही, विभागीय निदेश एवं एकरारनामा में निहित शर्तों के उल्लधन के फलस्वरूप प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एजेन्सी के सूचीबद्धता को कालीकृत करने के संबंध में।

मुंगेर जिला अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर के दूधपनिया ग्राम में रहस्यमयी बीमारी से संबंधित इण्डिया टूडे एवं aajtak.in में प्रकाशित रिर्पोट के आलोक में अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर के द्वारा किये गये जांच में संवेदक के स्तर से बरती गई लापरवाही तथा एकरारनामा एवं विभागीय निदेश के उल्लंधन से संबंधित तथ्य परिलक्षित होने के फलस्वरूप क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–1270, दि0–13.10.2025 के माध्यम से एजेन्सी को बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के तहत काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा उपलब्ध करायी गई।

प्राप्त अनुशंसा के क्रम में विभागीय पत्रांक–1566, दिनांक–14.10.2025 के द्वारा एजेन्सी को उक्त के संबंध में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके आलोक में एजेन्सी के द्वारा दिनांक–21.10.2005 को अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। एजेंसी के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा एकरारनामा में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अनुरूप ही योजना के रख–रखाव संबंधी कार्य किया जा रहा है। साथ ही, आरोपों के संबंध में बिन्दुवार वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर के द्वारा दिनांक–12.10.2025 को योजना का निरीक्षण किया गया। तद क्रम में यह पाया गया कि एजेन्सी के द्वारा निर्धारित मापदंड एवं कृत एकरारनामा के अनुरूप अनुरक्षण एवं मरम्मति का कार्य नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभागीय निदेश के अनुरूप जल जांच की कारवाई भी ससमय नहीं की गई है। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि उक्त योजना 2016–17 में मेसर्स विमल कन्स्ट्रक्शन (VI)के द्वारा निर्मित की गई थी। पुनः अनुरक्षण एवं मरम्मति अवधि समाप्त होने पर एजेंसी को O&M हेतु दिनांक–11.10.2023 को उक्त योजना आवंटित की गई। उक्त योजना के Raw Water एवं Treated Water के Sample की जांच जिला जांच प्रयोगशाला में कराने पर यह पाया गया कि फ्लोराईड लेवल की मात्रा पेयजल के अनुमान्य सीमा से अत्यधिक है।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों का जॉच प्रतिवेदन तदोपरान्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा में उल्लेखित तथ्यों एवं संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। साथ ही विभागीय ज्ञापांक–12 / वि0–162 / 2025–1587, दि0–117.10.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गये ATR के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि एजेन्सी द्वारा "हर घर नल के जल" के तहत कृत एकरारनामा के अनुरूप योजना के परिचालन एवं रख–रखाव में लापरवाही बरती गई है। अतएव एजेंसी के स्पष्टीकरण को स्वीकार्य योग्य नहीं माना जा सकता है।

P.T.O.

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 'क' की उपकंडिका–(**II**) के आलोक में मेसर्स Enure Infra Services Pvt. Ltd. At-B & 203, Sundram Vatila, Rupuspur, Baily Road, Patna, Pin- 801503 (सूचीबद्धता सं0–260920230349) को 03 (तीन) वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0 22/10/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–163 / 2025– 1612 पटना, दिनांक– 22.10.25

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 22/10/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–163 / 2025– 1612 पटना, दिनांक– 22.10.25

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, / आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

ह0 22/10/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक–12 / वि0–163 / 2025– 1612 पटना, दिनांक– 22.10.25

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर / मेसर्स Enure Infra Services Pvt. Ltd. At-B & 203, Sundram Vatila, Rupuspur, Baily Road, Patna, Pin- 801503 (सूचीबद्धता सं0–260920230349) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0 22/10/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–163 / 2025– 1612 पटना, दिनांक– 22.10.25

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 22/10/25
(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Black List Office Order